सं0–507 / XXV | | | (5)2005–71 / 2005

प्रेषक,

अतर सिंह

उप सचिव

उत्तरांचल शासन ।

सेवा में

मुख्य चिकित्साधिकारी

पौड़ी गढ़वाल।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 24 दिसम्बर , 2005

विषयः स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय जसपुर के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2005–06 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप के पत्र सं0–7प /1/ निर्माण/14/2005/23889 दिनांक 26.10.2005 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005–06 मे राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय जसपुर, जनपद पौड़ी के भवन निर्माण हेतु रू0 44,21,000=00 (रू0 चौवालिस लाख इक्कीस हजार मात्र) के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 42,59,000–00(रू0 बयालीस लाख उनसठ हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष मे रू0 20,00,000.00(रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टयों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् निर्माण इकाई परियोजना प्रबन्धक, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल शासन को कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय /भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा । इस धनराशि का पूर्ण उपयोग एवं उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी ।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11– आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय,उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मत किया गया है।

13– निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टयों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14– निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15– उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पडें ।

16– उक्त व्यय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –30 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्वति,– आयोजनागत –110–अस्पताल तथा औषधालय,–02–अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान,–01–रा0ए0चिकि0 का भवन निर्माण, 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

17– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–238/ XXVIII (2)/2005 दिनांक 21.12.2005 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अतर सिहं)
उप सचिव

संख्या0–507(1)/XXVIII (5) 2005–71/2005 व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3– कोषाधिकारी, पौडी।
4– जिलाधिकारी, पौडी।
5– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उत्तरांचल ।
6– परियोजना प्रबन्धक, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तरांचल ।
7– निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8– वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून ।
10– आयुक्त कुमांऊ/गढवाल मण्डल, उत्तरांचल ।
11– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव